



मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—



दिनांक: 02.03.2025

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा नशामुक्ति केन्द्र लोहदी में हुई युवक की हत्या की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद —

थाना को0कटरा, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 01.03.2025 को वादी अकालून पुत्र स्व 0 अस्फाक निवासी बड़ी बसही थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के पुत्र को नशा मुक्ति केन्द्र में कार्य करने वालों द्वारा मारापीटा गया जिससे मृत्यु होने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-48/2025 धारा 103(1), 115(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना को 0कटरा निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को 0कटरा पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांक: 02.03.2025 को थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्र से घटना से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण 1. शिवम तिवारी पुत्र स्व0 छविनाथ तिवारी निवासी बड़ाचाका नैनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज व 2. बुल्ली उर्फ रमाशंकर प्रजापति पुत्र परषोत्तम प्रजापति निवासी वासलीगंज थाना को 0शहर जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल एक अदद लोहे की पाइप व एक अदद बांस का बेत बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को 0कटरा पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ—

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे नशामुक्ति केन्द्र लोहदी ब्रांच में निरुद्ध लोगो की देखरेख/निगरानी का कार्य करते हैं। तौसीफ अंसारी 14 फरवरी 2025 को नशामुक्ति केन्द्र में परिवारिजन द्वारा दाखिल कराया गया था जो केन्द्र से पूर्व में भागने का प्रयास किया था जिसे पकड़ कर लाया गया था तथा कुछ दिन बाद पुनः भागने का प्रयास किया गया तो तौसीफ को हम लोगो द्वारा पकड़ कर लाया गया इस दौरान गाली-गलौज किया गया तो जिससे आवेश में आकर हम लोगो द्वारा मारापीटा गया जिससे उसकी की मृत्यु हो गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. शिवम तिवारी पुत्र स्व0 छविनाथ तिवारी निवासी बड़ाचाका नैनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-32 वर्ष।
2. बुल्ली उर्फ रमाशंकर प्रजापति पुत्र परषोत्तम प्रजापति निवासी वासलीगंज थाना को 0शहर जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-48/2025 धारा 103(1), 115(2), 3(5) बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की पाइप व एक अदद बांस का बेत

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक बुद्धिसागर यादव, उप निरीक्षक शशि मोहन राय, हे0का0 रामअवध यादव, कां0 अरुण कुमार, कां0 विनोद कुमार थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

